

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक:-

पटना, दिनांक

1/उ०ब०स०(आवंटन)-01/2016

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रभारी उप उद्योग निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम 2016 के आलोक में मुख्य शीर्ष 3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 090 सचिवालय, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 उद्योग विभाग, विपत्र कोड N3451000900001 के अधीन विषय शीर्ष 13 01 कार्यालय व्यय के वहन हेतु विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त राशि ₹ 5,00,000.00 (पाँच लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक एम-4-09/2014-2793/वि० दिनांक 04.04.16 के आलोक में मुख्य शीर्ष-3451 के अधीन संलग्न सूची के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये स्थापना से संबंधित विषय शीर्ष 13 01 कार्यालय व्यय के वहन हेतु विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त राशि कुल ₹ 5,00,000.00 (पाँच लाख) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्यय मुख्य शीर्ष 3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 090 सचिवालय, मांग संख्या 23, उप शीर्ष 0001 उद्योग विभाग, विपत्र कोड N3451000900001 के अन्तर्गत विकलित होगा।
3. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि०(2) दिनांक 17.04.98 में निहित प्रत्येक अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित की जाय।
4. वर्ष 2015-16 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान वर्ष 2016-17 के बजटीय उपबंध/आवंटन के संबंधित विषय शीर्ष में प्रावधानित राशि से किया जाय।
5. राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय:-
 - (i) एक विषय शीर्ष की राशि दूसरी विषय शीर्ष में व्यय नहीं किया जाय।
 - (ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO Code IND 007) का दायित्व है कि वित्त नियमावली भाग-1 के नियम-475 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाये।
 - (iii) विभिन्न वेतनादि मदों तथा यात्रा व्यय आदि मदों में मितव्ययिता बरती जाय और इन सभी मदों में व्यय आवंटन के अनुसार ही आवश्यकता को देखते हुये किया जाय।

- (iv) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0भी0न0/बिल न0 के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।
- (v) इस आवंटन के आलोक में स्थापना खर्च की गणना कर ली जाय। यदि आवंटन से अधिक राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य एवं मद्दवार व्यय के साथ कारणों को दर्शाते हुये शीघ्र सूचित की जाय।
- (vi) बचत की संभावना होने की स्थिति में 31 मार्च 2017 के पहले राशि अवश्य प्रत्यर्पित कर दी जाय।
- (vii) आवंटन विवरणी संलग्न।

अनु0:-यथो0

विश्वासभाजन,

11/6/2016
प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2582 (G)

पटना/दिनांक 06-06-16

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/6/2016
प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2582 (G)

पटना/दिनांक 06-06-16

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

11/6/2016
प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2582 (G)

पटना/दिनांक 06-06-16

प्रतिलिपि:-सचिव (व्यय)/बजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/6/2016
प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2582 (G)

पटना/दिनांक 06-06-16

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/6/2016
प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2583 (G)

पटना/दिनांक 06-06-16

1/उ0ब0स0(आवंटन)-01/2016

प्रतिलिपि:-सचिव (व्यय)/बजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/6/2016
प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

11/6/16
उप सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष 3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 090 सचिवालय, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 उद्योग विभाग, विपत्र कोड N3451000900001 के अंतर्गत उद्योग विभाग के अधीन विषय शीर्ष 13 01 कार्यालय व्यय के वहन करने के लिए विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त राशि ₹ 5,00,000.00 (पाँच लाख) मात्र की राशि के आवंटन की विवरणी:-

क्र०	विषय शीर्ष	आय-व्ययक अनुमान 2016-17	पूर्व में आवंटित राशि	अतिरिक्त आवंटित राशि
1	13 01 कार्यालय व्यय	15,00,000	4,95,000	5,00,000
	कुल योग:-	15,00,000	4,95,000	5,00,000

(पाँच लाख) रूपये मात्र।

~~11/6/2016~~
 प्रधान सचिव,
 उद्योग विभाग, बिहार, पटना।